भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3841
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

फोरेंसिक विशेषज्ञों की कमी

†3841. श्री जी. एम. सिद्धेश्वराः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि फोरेंसिक रिपोर्टों से संबंधित लम्बित मामले फोरेंसिक विशेषज्ञों की कमी के कारण लगातार बढ़ रहे हैं और इस कारण विभिन्न मामलों की सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;
(ख) क्या फोरेंसिक जांच के कुछ मामले हैं जहां शीघ्र जांच करने पर बेहतर परिणामों की संभावना है, हालांकि ऐसे मामलों में यदि जांच लंबे समय के लिए लंबित हो, तो यह जांच के परिणामों को प्रभावित कर सकता है; और
(ग) सरकार द्वारा फोरेंसिक सैंपलों की जांच में देरी को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि संतोषजनक और दूरगामी परिणाम हों?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बारे में उपलब्ध आंकड़ा ऐसी प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है।

(ख): जीव विज्ञान/डीएनए और विष विज्ञान के नमूनों से संबंधित फॉरेंसिक मामलों की जांच में महत्वपूर्ण कारक नमूनों को संरक्षित करने और उन उपयुक्त पर्यावरणीय स्थितियों को तैयार करने की पद्धति है, जिनमें नमूने स्टोर किए जाते है। तथापि, इन मामलों के संबंध में केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का हर प्रयास किया जाता है।

अ.प्र.सं. 3841

(ग): देश में दांडिक जांच से संबंधित न्यायालयिक विज्ञान ईको-प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) नए भवनों का निर्माण तथा मशीनें एवं उपकरण प्रदान करके भोपाल और गुवाहाटी की केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) का आधुनिकीकरण किया गया है। ये सीएफएसएल अपने नए भवनों में कार्यशील हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, पुणे में सीएफएसएल के आधुनिकीकरण से संबंधित पर्याप्त कार्य पूरा हो गया है।

(ii) केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में 99.76 करोड़ रु. की कुल लागत से एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना से संबंधित कार्य शुरू किया गया है।

(iii) लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय फॉरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट (एफएसीटी) के माध्यम से केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 140 फॉरेंसिक विश्लेषक/व्यवसायिक भर्ती किए गए हैं।

(iv) यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और लाने-ले जाने की पद्धति और साथ ही यौन हमला साक्ष्य संग्रहण किट में तकनीकी विशिष्टताओं के संबंध मे दिशा-निर्देशों की अधिसूचना जारी की गई है।

(v) फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और लाने ले जाने से संबंधित प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जांच अधिकारियों/अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों का क्षमता निर्माण किया गया है। दिनांक 28 जून, 2019 तक कुल 3221 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(vi) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑरियनटेशन किट के रूप में 3120 यौन हमला साक्ष्य संग्रहण किट वितरित किए हैं।

(vii) 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 131.09 करोड़ रु. की कुल लागत से डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और स्तरोनयन से संबंधित कार्य का अनुमोदन किया गया है।

******